FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....

.....बहादुर .....बनाम.....किरोडी..... मुकदमा...

.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.10.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 (4) पेश हुयी। वकील अपीलाण्ट का कथन रहा है कि प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल पुत्र पुन्ना का निधन हो गया है। जिसकी सूचना रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा वर्ष 2021 में न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। यह है कि मृतक रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद को कंटेस्ट नहीं किया है एवं उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.03.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया था। अतः अपील में मृत रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः मृत रैस्पो0 संख्या 02 के नाम के सम्मुख शब्द "दौराने अपील फौत" अंकित करते हुये उसके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने से छूट प्रदान करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2024(1) पेज 539, 2013(1) पेज 599, आरबीजे 2014(21) पेज 245 का उद्धरण प्रस्तुत किया। वकील रैस्पो0 का कथन रहा है कि रैस्पो0 संख्या 02 का निधन दिनांक 26.12.2018 को हो गया है। जिसकी सूचना न्यायालय में दिनांक 10.06.2019 को रैस्पो0 की ओर से दी गयी एवं पत्रावली वास्ते कार्यवाही कायम मुकाम नियत की गयी। अपीलाण्ट की ओर से चार साल तक कार्यवाही कायम मुकाम नहीं की गयी। दिनांक 17.10.2023 को अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 (4) जा0दी0 का पेश करते हुये मृत गोकुल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की छूट प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किया गया, जो उचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा मृत गोकुल की कायम मुकाम कार्यवाही चार साल तक नहीं की गयी। अतः अपील 90 दिवस बाद स्वतः ही अवेट हो जाती है। उपशमन होने के पश्चात् आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी लागू नहीं होगें क्योकि अपील पूर्व में ही अवेट हो चुकी है। अतः पृथक से आदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, अपील अपीलाण्ट को अवेट में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2010(2) पेज 1458, 2015(1) पेज 89, आरआरडी 1985 पेज 14 का उद्धरण प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन	

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

किया। रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल के फौत होने की सूचना रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा न्यायालय में दिनांक 10.06.2019 को प्रस्तुत की गयी। दिनांक 10.06.2019 से दिनांक 17.08.2023 तक अपीलाण्ट ने मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 17.08.2023 को अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 ए सीपीसी का प्रस्तुत किया। दिनांक 17.10.2023 को फिर एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4(4) सीपीसी प्रस्तुत करते हुये, कथन किया कि मृत रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल ने अधीनस्थ न्यायालय में दावे को कंटेस्ट नहीं किया है। अतः अपील में उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें रिकार्ड पर लिये जाने की छूट प्रदान की जावें। दिनांक 17.10.2024 को अपीलाण्ट के अभिभाशषक ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 ए को नोट प्रेस कर लिया। हमने मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृत रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.03.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है एवं उन्होनें वाद को कंटेस्ट नहीं किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2014 के विरूद्ध मृत रैस्पो0 संख्या 02 गोकुल द्वारा ही न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 27.05.2014 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी थी, जो अधीनस्थ न्यायालय से बाद सुनवाई निर्णय पारित होकर, वर्तमान अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट का यह कथन सारपूर्ण नहीं है कि गोकुल ने वाद को कंटेस्ट नहीं किया। यदि कंटेस्ट नहीं किया होता तो वह अपील में क्यों आते। लिहाजा हम गोकुल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की छूट प्रदान करना न्यायोचित नहीं समझते हैं। चूंकि अपीलाण्ट ने मृत गोकुल के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने की कार्यवाही सूचना की दिनांक 10.06.2019 से लगभग 4 साल निकलने के पश्चात् की गयी है। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। अतः अपील अपीलाण्ट तय समय सीमा में कार्यवाही कायम मुकाम नहीं करने के कारण स्वतः ही अवेट हो जाती है। लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4(4) खारिज किया जाकर अपील अपीलाण्ट अवेट में खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी